स्पीड पोस्ट

आई-9/1/2026-डब्ल्यूएंडएम अनुभाग (ई-38732)
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग
बाट और माप अनुभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 18.05.2026

सेवा में,

विधिक मापविज्ञान नियंत्रक,
सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश।

विषय: विधिक मापविज्ञान ढांचे के अंतर्गत मानक इकाइयों के साथ-साथ पूरक अभिव्यक्तियों के रूप में पारंपरिक इकाइयों का उपयोग – के संबंध में।

यह संज्ञान में आया है कि व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और दैनिक लेन-देन के कुछ क्षेत्रों में, समझने में आसानी और व्यावसायिक सुविधा के लिए इंच, फुट, गज, वर्ग फुट, दर्जन आदि जैसी पारंपरिक इकाइयों का सामान्य रूप उपयोग किया जाता है।

2. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत, निर्धारित बाट और माप की इकाइयाँ मीट्रिक प्रणाली और इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली (एसआई इकाइयाँ) पर आधारित हैं और ये सभी प्रकार के लेन-देन, सुरक्षा तथा विनियामक अनुपालन के प्रयोजनों के लिए कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त मानक इकाइयाँ बनी रहेंगी।

3. हालांकि, पारंपरिक इकाइयों का उपयोग पूरक या अतिरिक्त अभिव्यक्ति के रूप में किया जा सकता है, बशर्ते:

(i) अधिनियम और नियमों के अंतर्गत निर्धारित संबंधित मानक एसआई इकाई को प्रमुखता से घोषित किया गया हो;

(ii) प्रचलित इकाई का उपयोग केवल अतिरिक्त जानकारी के रूप में किया गया हो, न कि मानक इकाई के विकल्प के रूप में।

(iii) किसी भी विसंगति या विवाद की स्थिति में, मानक एसआई इकाइयों में की गई घोषणा ही मान्य होगी।

(iv) पूरक घोषणा उपभोक्ताओं को गुमराह नहीं करेगी और न ही मात्रा, आयाम, क्षेत्रफल, आयतन, संख्या या माप के संबंध में कोई अस्पष्टता उत्पन्न करेगी।

4. इस परामर्शी के प्रयोजनों के लिए, "पारंपरिक इकाइयाँ" से आशय उन इकाइयों से है जो अधिनियम और नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानक इकाइयों से भिन्न हों तथा जिनका उपयोग केवल मानक एसआई इकाइयों में उनके समतुल्य उल्लेख के साथ पूरक जानकारी के रूप में किया जाता हो।

दृष्टांत

(i) 1 मीटर (39.37008 इंच)

(ii) 1 मीटर (3.280840 फीट)

(iii) 1 स्क्वेयर मीटर (10.7639 स्क्वेयर फीट)

(iv) 12 संख्या (1 दर्जन)

(v) 139 सीएम (55 इंच टेलीविज़न स्क्रीन का आकार), इत्यादि

5. उपरोक्त दृष्टिकोण का उद्देश्य व्यापार सुगमता, उपभोक्ता समझ, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक प्रथाओं तथा व्यावहारिक बाजार उपयोग को सुविधाजनक बनाना है, साथ ही विधिक मापविज्ञान ढाँचे के अंतर्गत निर्धारित मानक एसआई मीट्रिक इकाइयों की प्राथमिकता, एकरूपता तथा विधिक वैधता को बनाए रखना है।

6. सभी विनिर्माताओं, पैकर्स, आयातकों, डीलरों और अन्य हितधारकों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि विधिक मापविज्ञान ढाँचे के तहत निर्धारित अनिवार्य घोषणाएं मानक एसआई इकाइयों में की जाएं, और यह भी कि कोई भी पूरक पारंपरिक इकाइयां केवल ऐसे तरीके से प्रदर्शित की जाएं जो भ्रामक न हों और स्पष्टीकरण देने वाली हों।

भवदीय,

(आशुतोष अग्रवाल)
निदेशक (विधिक मापविज्ञान)
दूरभाष: 011-23389489
ई -मेल: dirwm-ca@nic.in

प्रति: सभी हितधारक

(टिप्पणी: अंग्रेज़ी और हिंदी संस्करणों में किसी भी तरह का अंतर होने पर, अंग्रेज़ी संस्करण ही मान्य होगा।)